

फर्द अहकाम

क्र. वनाम सुरजावती

वालय

संख्या 58/2015 T.I.

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08/01/20	<p>व. फा. उपा. अराजी सं. 112 ता. 1/11 का पावर ऑफ़ी सेमी तकी लने पेश किया। पत्रावली नरते जवाब T.I क्रिड 12/2/20 में पेश है।</p> <p>सहायक कलेक्टर चौमू (जयपुर)</p>	
	12/02/20	<p>पत्रावली पेश हुई नं. फा. उपा. अयपक्षकार के अधिकता ने विवाद ग्रस्त भी भूमि की ता फेरला बाद रिफरि एव मोका की यथास्थिति बनाए रखने तावत सहमति जाहिर की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद तकरमा व स्थिति निर्णयज्ञा का है जो प्राथमिक डिमी हो चुका है। इसी स्थिति में विवाद ग्रस्त आयोजित की मोका एव रिफरि की यथास्थिति बनाए रखना उचित प्रतीत होता है। अतः अयपक्षकार को मा पत्र अस्थाई निवेदनज्ञा में मदक 3 में अंकित विवाद ग्रस्त अराजी की ता फेरला बाद अस्थाई निवेदनज्ञा द्वारा मोका एव रिफरि की यथास्थिति बनाए रखने तक पावन्द स्थित होता है। पत्रावली में माला ही। दर्ज नस्कर से कम हो कर मूल वाद के साथ रखने है।</p> <p>सहायक कलेक्टर चौमू (जयपुर)</p>	

